भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2715
दिनांक 18 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

बाल सुधार गृहों की दशा संतोषजनक नहीं होना

2715. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि देश में बाल सुधार गृहों की स्थिति संतोषजनक नहीं है;
(ख) यदि हां, तो इन बाल सुधार गृहों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार ने उक्त बाल सुधार गृहों के प्रबंधकों, जो इनका सही तरह से संचालन नहीं कर रहे हैं, के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा इसके तहत बनाए गए मॉडल नियम 2016 अन्य बातों के साथ बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बेंच मार्क तथा निगरानी रूपरेखा निर्धारित करते हैं।

जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय में मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जेजे अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण 01.08.2019 से 01.08.2020 तक 436 संस्थाएं बंद की गईं। जेजे अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश में बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित की थी। इसमें पाई गई अनियमितताओं तथा उल्लंघनों के बारे में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित डीएम/डीसी को सूचित किया गया।

****